न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 71/2021 अपील (GCMS 2021/95)
पंजीयन दिनांक– 08.10.2021
निर्णय दिनांक– 19.07.2022

1. श्री गोकल पिता माला कुमावत, निवासी नारायणगंज (ओडा), तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमंद।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1.	श्री सम्पतलाल बोहरा	– अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक	– अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, राजसमंद के प्रकरण संख्या
29/2019 निर्णय दिनांक 29.11.2019

<u>निर्णय</u>

दिनांक 19.07.2022

- अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, राजसमंद के प्रकरण संख्या 29/2019 निर्णय दिनांक 29.11.2019 के विरूद्ध दिनांक 05.10.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ओडा द्वारा रिपोर्ट इस आशय की

प्रस्तुत की कि अपीलांट ने राजस्व ग्रमा नारायणगंज की आराजी नम्बर 1983/1 रकबा 305–01 बीघा भूमि किस्म बिलानाम नदी में 8.00 बीघा भूमि पर संवत् 2073 में अतिक्रमण कर मक्का की काश्त की है। जिसके विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही अमल में ली जाकर बेदखल किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 152/2016 निर्णय दिनांक 07.03.2019 से अतिक्रमी (अपीलांट) को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाने एवं 20 रूपये लगान का 50 गुना शास्ती एवं फसल निलामी 3500/– रूपये आरोपित करने का निर्णय पारित किया जाने से अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद में प्रथम अपील पेश की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 29/2019 निर्णय दिनांक 29.11.2019 से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेलमगरा के निर्णय दिनांक 07.03.2019 को यथावत रखे जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26.11.2019 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम नारायणगंज, तहसील रेलमगरा की आराजी नम्बर 1983/1 रकबा 305.01 बीघा किस्म बिलानाम नदी भूमि में से 8.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। इसके साथ* D.B. Civil Write Petition No 1536/03 *अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी संबंधित होने से नियमन एवं आवंटन नहीं किया जा सकती। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध की गई कार्यवाही बेदखल व*

शास्ति 1000/– रूपये एवं फसल निलामी 3500/– रूपये आरोपित करने के आदेश से मैं संतुष्ट हूँ। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है।"

- उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 12.07.2022 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय को कथित भूमि की किस्म नदी हटाने के लिए पत्रावली राज्य सरकार को भिजवायी जानी चाहिए थी। इस मामले में ट्रॉयल कोर्ट द्वारा पटवारी हल्का या भू–अभिलेख निरीक्षक के बयान नही लेकर बिना बयान के ही आदेश जारी कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के समक्ष न तो पर्चा मौका बनाया न ही वास्तविक स्थिति की जांच की गयी। बिना जांच के ही मर्जी मकसूद तरीके से रिपार्ट बनाकर तहसीलदार को पेश की गई। विवादग्रस्त भूमि पर करीब 50 वर्षो से कभी भी नदी का पानी नही आया है तथा किस्म नदी गलत दर्ज कर रखी है। अपीलांट ने वहां पर कुंआ भी खुदवाया है तथा उस कुएं से सारी भूमि की सिंचाई होती है तथा अपीलांट दोनों फसले काश्त कर रहा है। अपीलांट भूमिहीन काश्तकार है उसके पास इस भूमि के अलावा और कोई भूमि नही है। अपीलांट एवं उसके परिवार के लिए एकमात्र आय का साधन यही भूमि है। मौके की स्थिति के अनुसार कथित भूमि किस्म केवल बिलानाम सरकार दर्ज होनी चाहिए थी इस भूमि पर 50 वर्षो में भी कभी नदी का पानी नहीं

आया है तथा अपीलांट बराबर काश्त कर रहा है। तहसीलदार, रेलमगरा ने केवल कुछ अपीलांट से अदावट रखने वाले लोगों के कहने में आकर जो आदेश दिया उसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मौका देखे बिना ही बहाली का अदेश दिया जो गलत है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का अपीलांट के समक्ष मौका देखा जाकर नियमन योग्य भूमि पायी जाने पर नियमन की कार्यवाही करने के लिये मामला पुनः भेजा जाना आवश्यक होते हुए भी जो आदेश पारित किया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.11.2019 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर राजसमंद द्वारा दिनांक 26.11.2019 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपील बैरून मयाद प्रस्तुत हुई है परन्तु अपीलाण्ट के दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन, अखण्डित शपथ–पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा ग्राम नारायणगंज के आराजी नम्बर 1983/1 रकबा 305 बीघा 1 बिस्वा किस्म बिलानाम नदी में से 8 बीघा भूमि पर अपीलाण्ट के अतिक्रमण किये जाने के कारण अपने प्रकरण संख्या 152/2016 निर्णय दिनांक 07.03.2019 से अतिक्रमी को भूमि से बेदखल करने एवं शास्ति का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद के यहां प्रथम अपील संख्या 29/2019 प्रस्तुत की जो अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.11.2019 से अपील खारिज कर तहसीलदार, रेलमगरा का

निर्णय यथावत् रखा। प्रथम अपील के निर्णय दिनांक 29.11.2019 से रूष्ठ होकर अपीलाण्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.10.2021 को प्रस्तुत की है। अपील में अपीलाण्ट द्वारा आधार लिये गये हैं, वह यह है कि कथित भूमि की किस्म नदी हटाने के लिए पत्रावली राज्य सरकार को भिजवायी जानी चाहिए थी। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के समक्ष न तो पर्चा मौका बनाया न ही मौका देखा न ही वास्तविक स्थिति की जांच ही की गयी बिना जांच के ही मर्जी मकसुद तरीके से रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार को पेश की गई। विवादग्रस्त भूमि पर 50 वर्षो से कभी भी नदी का पानी नही आया है तथा किस्म भूमि नदी गलत दर्ज कर रखी है। प्रथम अपीलीय नयायालय द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण नियमन कमेटी के समक्ष भेजा जाना चाहिए था। अपीलांट ने वहां पर कुआं भी खुदवाया है तथा उस कुए से सारी भूमि की सिंचाई होती है तथा अपीलांट दोनों फसले काश्त कर रहा है। अपीलांट भूमिहीन काश्तकार है उसके पास इस भूमि के अलावा और कोई भूमि नही है। अपीलांट व उसके परिवार के लिए एकमात्र आय का साधन यही भूमि है। मौके की स्थिति के अनुसार भूमि की किस्म केवल बिलानाम सरकार दर्ज होनी चाहिए थी इस भूमि पर 50 वर्षो में कभी भी नदी का पानी नहीं आया है।

- प्रकरण में हम यह पाते हैं कि प्रकरण में समायत बहस, अपीलाण्ट के उज्र, राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तहसीलदार के यहां प्रकरण दिनांक 21.09.2016 को प्रस्तुत होने के बाद अपीलाण्ट को नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिया गया तथा इस दौरान उसके द्वारा उक्त भूमि के बिलानाम नदी नहीं होने तथा बिलानाम होने या उसके नियमन की पात्रता रखे जाने बाबत् कोई साक्ष्य तहसीलदार के यहां प्रस्तुत नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 07.03.2019 को आदेश पारित किया है।

- प्रकरण में विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धरा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आता है।

इसके साथ ही D.B. Civil Write Petition 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार से भी संबंधित होने से नियमन तथा आवंटन नही की जा सकती है तथा भूमि के बिलानाम नदी नहीं होने अथवा अपीलाण्ट को भूमि धारित किये जाने के लिए कोई अधिकारिता संबंधित दस्तावेज रेकर्ड पर नहीं है, जिससे भूमि को बिलानाम नदी नहीं माना जावें अथवा अपीलाण्ट को उक्त बिलानाम नदी भूमि को धारण करने की अधिकारिता मानी जावें। समग्रतः हम यह पाते हैं कि अपीलाण्ट के बिलानाम नदी भूमि पर अतिक्रमी होने के आधार पर तहसीलदार एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा प्रथम अपील में अपीलाण्ट की बेदखली एवं जुर्माने का जो आदेश पारित किया है, उसमें हम कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(राजेन्द्र भट्‌ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्‌ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर